बिहार सरकार
कृषि विभाग।

ज्ञापांक –एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014– 1598/कृ0, पटना, दिनांक–22-03-/2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के अधीन वर्ष 2015–16 में घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (RAD) अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए केन्द्रांश 284.8145 लाख एवं राज्यांश 189.8791 लाख, अनुसूचित जाति के लिए केन्द्रांश की राशि 54.9040 लाख एवं राज्यांश 36.6032 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रांश की राशि 3.4315 लाख एवं राज्यांश 2.2877 लाख कुल 571.92 लाख रूपये (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (NMSA) योजना अन्तर्गत घटक योजना रेनफेड डेवलपमेन्ट (RAD) अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए केन्द्रांश 284.8145 लाख एवं राज्यांश 189.8791 लाख, अनुसूचित जाति के लिए केन्द्रांश की राशि 54.9040 लाख एवं राज्यांश 36.6032 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रांश की राशि 3.4315 लाख एवं राज्यांश 2.2877 लाख कुल 571.92 लाख रूपये (पाँच करोड़ एकहत्तर लाख बानवे हजार) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जनसंख्या वृद्वि, जलवायु परिवर्तन तथा गैर कृषि कार्यों में खेती योग्य भूमि एवं जल के उपयोग के कारण कृषि के लिए चुनौतियाँ काफी बढ गई है। विशेषकर रेनफेड एरिया में सिंचाई जल की असमान्य उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के कारण कृषि एक कठिन एवं अनिश्चिततापूर्ण तथा अलाभकारी कार्य हो गया है। वर्तमान में अन्न उत्पादन में आयी स्थिरता और भोजन की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती का उर्ध्वाधर विस्तार आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप कृषि में विभिन्न घटकों के समावेश, सीमित भूमि में प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन तथा जोखिम को कम करते हुए कम समय में अधिक आय और रोजगार सृजित किए जाने की आवश्यकता है। टिकाउ रोजगारपरक तथा लाभप्रद खेती के लिए समेकित कृषि प्रणाली को अंगीकृत किया जाना है। इसके तहत कृषि कार्य के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, वर्मीकम्पोस्ट एवं मशरूम उत्पादन को किसान के पास उपलब्ध जोत, संसाधन, स्थानीय पारिस्थितिकी तथा बाजार माँग के अनुरूप समायोजित कर कृषि लागत को कम करके आय बढाने तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने पर बल दिया जाएगा। इससे कृषि के साथ प्राकृतिक संसाधनों की अक्षुण्ता भी बनी रहेगी और किसानों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आयेगा।

3. यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से व्यय की जाएगी ।

4. वर्त्तमान में राज्य के 12 जिला जहाँ वर्षा आधारित खेती का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से अधिक है एवं पूर्व से एन0डब्लू0डी0पी0, आई0डब्लू0एम0पी0 योजना के तहत कार्य चल रहें हैं, को शामिल किया गया है । इसमें रेनफेड क्षेत्रों में समेकित कृषि प्रणाली को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें तीन प्रकार के कृषि प्रणाली मॉडल यथा फसल आधारित, उद्यान आधारित एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत योजना कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के उपादानों एवं कार्यकमों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

5. भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो अनुसूची–01 के रूप में संलग्न है।

6. योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में किया जाएगा । विभिन्न प्रकार के फसल प्रणाली के लिए अलग–अलग क्षेत्रफल के कलस्टर का चयन किया जाएगा । भारत सरकार द्वारा वर्त्तमान में विभिन्न फसल प्रणाली के लिए कुल 12 कलस्टर में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है । उद्यान आधारित कृषि प्रणाली अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार रूपये का अनुदान देय होगा, कृषि वानिकी प्रणाली अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये एवं फसल आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रूपये प्रति हेक्टयर की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभार्थी को अधिकतम दो हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जा सकेगा। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे।

7. कुल उद्व्यय राशि का 50 प्रतिशत राशि लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए व्यय किया जाएगा, जिसमें से कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला होगी । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 1 प्रतिशत राशि कर्णाकिंत की जाएगी । योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा संसूचित मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर प्रशासी विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

8. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी । राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों सहित प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की योजना में आवश्यक तकनिकी सहयोग एवं परामर्श के लिए स्टेट लेवल स्टैंडिग कमिटी कृषि निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी। कृषि निदेश मिशन निदेशक होगे । जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मिशन समिति (डी0एम0सी0) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी । जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा । प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

9. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्वि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा ।

10. योजना अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लिए स्वीकृत केन्द्रांश की राशि 284.8145 लाख रू० (दो करोड़ चौरासी लाख इक्यासी हजार चार सौ पचास रूपये) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, माँग संख्या–01 उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक, उप शीर्ष–0207 – राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401001050207, विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा'' में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 1914.20 लाख रू० (उनीस करोड़ चौदह लाख बीस हजार रू०) से विकलनीय होगा। राज्यांश की राशि 189.8791 लाख रू० (एक करोड़ नवासी लाख सतासी हजार नौ सौ दस रू०) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, माँग संख्या–01 उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक, उप शीर्ष–0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401001050307 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 5385.25 लाख रू० (तिरपन करोड़ पच्चासी लाख पच्चीस हजार रू०) से विकलनीय होगा।

11. योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत केन्द्रांश की राशि 54.9040 लाख रू० (चौवन लाख नब्बे हजार चार सौ रूपये) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, माँग सं०–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0238 – राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401007890238 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा'' में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 368.00 लाख रू० (तीन करोड़ अढ़सठ लाख रूपये) से विकलनीय होगा। राज्यांश की राशि 36.6032 लाख रू० (छत्तीस लाख साठ हजार तीन सौ बीस रूपये) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, माँग सं०–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401007890338 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 1137.40 लाख रू० (ग्यारह करोड़ सैतीस लाख चालीस हजार रूपये) से विकलनीय होगा।

12. योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत केन्द्रांश की राशि 3.4315 लाख रू० (तीन लाख तितालिस हजार एक सौ पचास रूपये) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, माँग सं०–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401007960258 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा'' में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 24.00 लाख रू० (चौबीस लाख रूपये) से विकलनीय होगा। राज्यांश की राशि 2.2877 लाख रू० (दो लाख अठाईस हजार सात सौ सत्तर रूपये) का व्यय ''मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि–कर्म, माँग सं०–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष –0358– राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विपत्र कोड–पी० 2401007960358 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा'' में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि 86.08 लाख रू० (छियासी लाख आठ हजार रूपये) से विकलनीय होगा।

13. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि (अनुसूची–2) की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, पटना से बामेति द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्व प्राप्ति रसीद के अधार पर BTC Form 42 पर की जायेगी। यह राशि सहायक अनुदान के रूप में बिहार प्रबंधन–सह–प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति) द्वारा कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, एन०एम०एस०ए० योजना से परामर्श के आलोक में जिलों/कार्यान्वयन एजेन्सी को राशि विमुक्त की जाएगी।

14. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या– एन०एम०एस०ए०को०–09/2014 के टिप्पणी पृ0सं0– 23/टि0 पर दिनांक 15.12.2015 को प्राप्त है ।

15. मंत्रिपरिषद की दिनांक 08.03.2016 की बैठक की मद सं०–06 में स्वीकृति प्राप्त है।

16. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

17. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– एन०एम०एस०ए०को०–09/2014 के पृ0सं0–47/टि. पर दिनांक– 21.3.16 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक –एन०एम०एस०ए०को०–09/2014– 1598/कृ0, पटना, दिनांक– 22-03-/2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक –एन०एम०एस०ए०को०–09/2014– 1598/कृ0, पटना, दिनांक– 22-03-/2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।